कार्यालय अति.पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय,मध्य प्रदेश भोपाल

Tel: 0755–2443568 / Fax 0755–2550367
Email Id- mpcaw@mppolice.gov.in

कमाक / पुमु / म0अप0 / W–12 / 91 / 19 / 630 / 2020 भोपाल, दिनांकः– 23/03 / 2020

परिपत्र–08 / 2020

प्रति,

समस्त जोनल अति. पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक (रेल सहित)
समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक रेंज
उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर / भोपाल (शहर)
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक (रेल सहित)
मध्य प्रदेश।

विषयः– पीडित महिलाओं को विधिक सहायता प्रदाय करने के संबंध में।

संदर्भः– (1) पत्र क / File No. / परिपत्र / अमनि / म.अप. / 445 / 15, दिनांक 27.07.15
(2) पत्र क / File No. / परिपत्र / अमनि / म.अप. / 393 / 17 दिनांक 12.12.17
(3) पत्र क / File No. / अमनि / म.अप. / नि.स. / 2715 / 19, दिनांक 21.05.19
(4) पत्र क / File No. / अमनि / म.अप. / W-12 / 91 / 19 / 6258 / 19,दिनांक 13.11.2019

——00——

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके द्वारा यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं को विधिक सहायता प्रदाय करने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उल्लेखित परिपत्रों के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि अपने जिलें में विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Service Authority) एवं जिला न्यायाधीश से संपर्क स्थापित कर ऐसे समस्त सूचीबद्ध अधिवक्ताओं की सूची तैयार कर उनका नाम, पता एवं दूरभाष सहित प्राथमिकता के आधार पर थानों में प्रदर्शित की जावें। विभिन्न पीडितों से फीडबैक के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि उक्त वर्णित सूची अधिकांश थानों में प्रदर्शित नहीं की गई है और पीड़िताओं को विधिक सहायता के उनके अधिकारों के विषय में थाने में थाना प्रभारी / ड्यूटी अधिकारी / FIR लेखक के द्वारा नहीं अवगत कराया जा रहा है।

उक्त संबंध में जिला विधिक प्राधिकरण के पैनल पर उपलब्ध विधिक अधिकारी / अधिवक्ता के नाम, पता एवं मोबाईल नंबर की सूची जिले के समस्त पुलिस थानों, नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही में आने वाले व्यय की पूर्ति पूर्व में महिला अपराध शाखा, पुलिस मुख्यालय के महिला अपराध की योजना क्रं 7130–35–000 विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार मद के अंतर्गत उपलब्ध बजट से की जा सकती है। यदि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है, तो पुलिस मुख्यालय को अवगत करावे, ताकि आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जा सके।

उक्त संबंध में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति (समाचार पत्र में) जारी करें, जिससे आम जनता विधिक सहायता के प्रति जागरूक हो सके। प्रत्येक पीडित को FIR / धारा 161 के कथन के समय ही उसके निःशुल्क विधिक सहायता के विषय मे सलग्न प्रारूप अनुसार बताया जावे और पावती प्राप्त कर केस डायरी मे लगावे तथा सबंधित केस डायरी पर्चे में तदानुसार लेख करें। जन जागरूकता एवं संवाद कार्यकर्ताओ मे यह बिन्दु भी सम्मिलित करें।

निर्देशों का पालन न करने वाले थाना प्रभारियों / ड्यूटी प्रभारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावें। महिला हेल्पलाइन 1090 पीडितों से इस विषय में लगातार फीडबैक लेकर वस्तुस्थिति ज्ञात करता रहेगा।

सलग्नः– उपरोक्तानुसार।

23/3

अति0 पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध)
पुलिस मुख्यालय, भोपाल

लगातार......

पीड़ित महिला को विधिक सहायता संबंधी सूचना प्रदाय करने हेतु प्रारूप

यौन शोषण से पीड़िता महिला को थानों में प्रकरण के पंजीकरण से लेकर न्यायालय में प्रकरण के अंतिम निराकरण/निर्णय होने तक निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने वाले वकील/ अधिवक्ताओं के सदस्यों की सूची संबंधित थाने से प्राप्त की जा सकती है। विस्तृत जानकारी संबंधित थाना अथवा जिला न्यायालय स्थित जिला विधिक सहायता प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।